तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/17	प्रत्यावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर, पूर्वानुसार दिनांक 25/4/17 पेश हो।	
25/4/17	पत्रावली पेश हुई है। पत्रावली पर उत्तर कोई केस वास्तगाफी के लिये 12/6/2017 को पेश हो।	मोहनलि संन्यीप
12/6/17	आज वादी का कोई वारन्टगाफी में पेश हुई। वादी का कोई भी पूर्व नियोजित प्रोग्राम के अनुसार वादी व प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किये जाने बाकी है अतः अग्रिम आगे प्रतिवादी मोहन सिंह, सन्तोषी आदि।	
	प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी प्रार्थिका एवं प्रतिवादी के पक्के मकान के बटवारी को आ० प्र० 328 रकबा 6 बिस्वा पजिस्वा वाके ग्राम केसवगढ़ तह० मऊरानीपुर में स्थित है प्रार्थी 1/8 हिस्से के भागीदार काश्तकार काबिज आराजी है इसी प्रकार भि० प्रा० 304, 305, 306, 336/532, 337/532, 1236/1126 कुल किता 6 कुल रकबा 1, बिस्वा 5 बिस्वा वाके ग्राम केसवगढ़ तह० मऊरानीपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थिका 1/4 हिस्से के भागीदार काश्तकार है	
	अतः के अनुसार वादिका एवं	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
अभियोगिगण - अपने पूर्व कथन के समर्थन में अपने पत्रावली बरखास्त के अनुसार अपने हलफी अनुसार बयान दिये हैं। अभियोगी पक्ष से साक्ष्य समाप्त घोषित कर अभियोगी पक्ष से साक्ष्य प्रारम्भ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्पूर्ण वादीगण अभियोगिगण के पक्ष से बखूबी साबित होता है अभियोगी का अभियोग धारा 212 R.P.C. के अन्तर्गत सिद्ध होने योग्य है। अभियोगी का अभियोग धारा 212 R.P.C. से उसी अनुसार मिसलबाई निर्णयाधीन रखा 26.5.15 को पश्चात्वर्ती दिया जाता है। पत्रावली अभाव - गुमनाम होकर नम्बर सेकण्ड हो।	

1/6/12

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर